

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 14.10.2026

“ऑपरेशन कन्वक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्वक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 13.10.2026 को न्यायालय न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 01.10.2018 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. हरिराम पुत्र लगन 02. कृष्णा उर्फ किशन निवासीगण पटवरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज के संबंध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एनसीआर नं0 308/2018 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा 323, 504 भा0द0वि0 के अपराध में प्रत्येक को दोनो धाराओं में क्रमशः 700-700 रुपये तथा 300-300 रुपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त प्रत्येक को दोनो धाराओं में क्रमशः 01-01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 888/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 61(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता प्रेम प्रकाश पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डारीडिहा मोड़ से आज दिनांक 14.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 21.09.2026 को छत्रपति साहूजी महाराज इंटर कॉलेज, काटगंगा के पास दो युवकों पर फायरिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए, जिनके पेंदे पर 7.65 KF अंकित है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए बरामद खोखा कारतूसों को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील सर्वमोहर किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त— प्रेम प्रकाश पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ऊनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरण— पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं गोरखल में कमरा लेकर रहता हूँ। सोनू, डब्लू, प्रियांशु उर्फ टायसन व आदित्य मेरे मित्र हैं। दिनांक 21.09.2026 की सुबह उक्त सभी मेरे कमरे पर आए थे। प्रियांशु उर्फ टायसन ने बताया कि थाना दुधारा क्षेत्र के दो व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस बात को लेकर हम लोगों ने कमरे में बैठकर दोनों व्यक्तियों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें रास्ते में रोककर मारने की योजना बनाई। इसके बाद हम सभी एक साथ छत्रपति साहूजी महाराज इंटर कॉलेज, काटगंगा के पास पहुँचे। वहाँ दो युवक मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। उन्हें रोकने के बाद हम लोगों ने उनके साथ मारपीट की तथा मेरे मित्र डब्लू ने पिस्टल से दोनों युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। फायरिंग के बाद मौके पर लोगों के एकत्र होने पर मैं व मेरे अन्य साथी पिस्टल लेकर मौके से भाग गए।

अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने के आधार पर मु0अ0सं0 944/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी—

- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम— उ0नि0 श्री प्रभांशु कुमार राय, हे0का0 मो0 युसूफ, का0 चन्द्रशेखर यादव, का0 सचिन, का0 अपूर्व त्रिपाठी, का0 वृजेश वर्मा।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 14.10.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना दुधारा पुलिस** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता मोहम्मद इब्राहिम पूत्र तहसीलदार निवासी देवरिया सेठ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सतीश तिवारी, हे0का0 जयचन्द्र कन्नौजिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा **बाईक** द्वारा **पैदल जा रही बच्ची को टक्कर लग जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 लड़की को पहुँचाया गया अस्पताल-** पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डुहिया से कालर द्वारा पैदल जा रही लड़की को मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने से घायल (1.रिया पुत्री चन्द्रभान निवासी हरैया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लड़की को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 अरविन्द्र कुमार मिश्रा, हो0गा0 प्रमोद कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 193 वाहनों से 187,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 193 वाहनों से 187,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 14.10.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा का0 राधेश्याम यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अभियुक्त मोहम्मद इसरार पुत्र मो0 रइस निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 कुन्तल गोवंशीय पशु के मास बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री पी0वी0 चौबे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 242/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद इसरार उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।